निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 46 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर के माह 09/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 10/09/2018 से 17/09/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर0एन0 यादव, श्री डी0 के0 मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अंकित पाण्डेय लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2016 से 22.09.2016 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2013 से 08/ 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर, कोटाबाग, बेतालघाट एवं रामगढ़ क्षेत्र।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	295.20	283.03	1371.45	1351.45	-	20.00
2016-17	-	-	316.30	302.13	894.60	894.60	-	-
2017-18	-	-	362.32	323.85	633.02	613.58	-	19.44
2018-19 (up to 08/2018)		-	252.16	143.61	204.52	217.06	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
——— शून्य ——						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'बी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड–देहरादून

––मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड–देहरादून

––अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा

––अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2016 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **टी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर में 3 संख्या नलकूपों का निर्माण कार्य** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से..... ..... का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2017 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 08/2018 तक कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम ₹ शून्य

भाग द्वितीय ₹ 6525.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम– शून्य

(ख) सामग्री क्रय– शून्य

(ग) नगद परिशोधन– शून्य

(घ) निक्षेप रू0 95844.00

(ङ) भण्डार रू0 174.08 लाख

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1 - विगत 10 वर्षों से निष्प्रोज्य वाहनो/उपकरणो की निस्तारण/नीलामी की कार्यवाही नही किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, रामनगर के वाहन/उपकरणो के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि खंड मे विगत करीब ग्यारह वर्षों से वाहनो/उपकरणो निष्प्रोज्य रूप से पड़े हैं। विभाग द्वारा अभी तक उनके निस्तारण की कोई भी कार्यवाही आरंभ नही की जबकि उपकरणों/वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने के उपरांत उनके निस्तारण/नीलामी की कार्यवाही विभाग/शासन की अनुमति के उपरांत की जानी चाहिए थी। उल्लेखनीय हैं कि खंड द्वारा अभी तक निष्प्रयोज्य उपकरणों/वाहनों के निस्तारण की कोई भी कार्यवाही आरंभ ही नही की हैं। निष्प्रयोज्य उपकरणों/वाहनों की तालिका मे एवं फोटो मे विवरण निम्न हैं-

क्रम. स.	**निष्प्रयोज्य वाहन**	**क्रय वर्ष**	**निष्प्रयोज्य होने की तिथि**
1	ट्रक USN 3758	1972	12/2007 से
2	वाटर टैंकर UGX 9988	1984	10/2010 से
3	ट्रक USE 5354	उपलब्ध नही	03/2011 से
4	ट्रक UGO 9164	1988	04/2013 से
5	ट्रेक्टर USE 5284	उपलब्ध नही	03/2007 से
	निष्प्रयोज्य उपकरण		
1	Per cussion RIG Machine PR-9	1974	2014 से
2	Per cussion RIG Machine PR-10	1974	2014 से
3	Per cussion RIG Machine PR-11	1975	2014 से
4	Dissel Generator set 80 KVA without battery (OP Unit)	------	------

खंड के लेखाभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि खंड द्वारा उक्त उपकरणों/वाहनों की सर्वे हेतु कोई भी समिति का गठन नही किया गया हैं। इसके अतिरिक्त खंड के अभिलेखों के अनुसार कुछ वाहनो के रजिस्ट्रेशन पेपर उपलब्ध नही है।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उपकरणों को चलाने हेतु स्टाफ न होने के कारण एवं वाहन अत्यधिक पुराने एवं चालू हालत मे न होने के कारण एवं मरम्मत मे अत्यधिक लागत आने के दृष्टि से वाहन खड़े हैं। वाहनों के रजिस्ट्रेशन पेपर न होने के कारण इनके निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही नही की जा सकी। संबन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से वाहनों के duplicate registration paper प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा हैं। जैसे ही संबन्धित अभिलेख प्राप्त हो जायेगे तदानुसार निष्प्रयोज्य की कार्यवाही की जायेगी।

अत: विगत 10-11 वर्षों से निष्प्रोज्य वाहनो/उपकरणो की निस्तारण/नीलामी की कार्यवाही नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर– 2 खण्ड द्वारा रू0 235.15 लाख की देनदारियों का माह अप्रैल 2017 से निस्तारण न किया जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रामनगर के अभिलेखों की नमूना जॉच (09/2018) में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल रू0 235.15 लाख की देनदारी लम्बित थी जिनका विवरण निम्न प्रकार था :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	मद एवं लेखा शीर्षक	देनदारी		देनदारी		कुल देनदारी
		अवधि	स्टॉक	अवधि	बीजक	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1	204700RIDF-23 LIFT (Gairadi&Jatana)	07/2018-08/2018	1.87	-	-	1.87
2	20 2702 M&R Tubewell	02/2018-08/2018	71.31	07/2018-08/2018	17.81	89.12
3	8443 Deposit IIIrd/ Distt Plan Tubewell	11/2017-08/2018	36.18	07/2018-08/2018	32.39	68.57
4	8443 Deposit IIIrd/ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 154 आर0जी खुडलियातोक	04/2018-08/2018	4.62	07/2018-08/2018	27.68	32.30
5	8443 Deposit IIIrd/ Distt Plan LIFT	04/2017-08/2018	37.86	07/2018-08/2018	5.43	43.29
	योग		**151.84**		**83.31**	**235.15**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि धनावंटन अनुमोदित परिव्यय के अनुरूप न होने के कारण देनदारिया सृजित हुई, धनावंटन एवं देनदारियों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को

समय–समय पर अवगत कराया गया है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि खण्ड द्वारा उक्त देनदारी का सृजन किया गया था।

अतः खण्ड द्वारा रू0 235.15 लाख की देनदारियों को सृजित किया जिसका निस्तारण माह 04/2017 से लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1 गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹18202 के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान।

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम- 2016 (संख्या-299/XXVII(7)50(16)/2016 देहरादून, दिनांक: 30 दिसम्बर 2016) के नियम 8 के अनुसार- *" 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूलवेतन उस पद, जिस पद पर संबन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।"*
कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, रामनगर के अभिलेखो/सेवापुस्तिकाओ की नमूना जांच (09/2018) में पाया गया कि इसी कार्यालय में कार्यरत श्री अवधेश यादव ने इसी कार्यालय में दिनांक **12.07.2016 (अपराहन)** को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैंड ***5200-20200, ग्रेड वेतन 2000*** में नवनियुक्ति प्राप्त की थी। 7वे वेतनमान में कार्यालय द्वारा इनका मूल वेतन **22400** (8460*2.57=21742 next higher 22400, लेवल-3 में) इनकी नियुक्ति तिथि से निर्धारित किया गया और इसके आधार पर वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया। जो उपरोक्त नियम के अनुसार गलत है। उपरोक्त नियम के अनुसार इनको इनकी नियुक्ति तिथि से **21700 (लेवल-3 में न्यूनतम)** के मूल वेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री अवधेश यादव को दिनांक 12.07.2016 (नियुक्ति तिथि) से अगस्त 2018 तक **धनराशि ₹18202 के वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान** किया जा चुका है।*(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।)* इस संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड ने अपने उत्तर मे बताया कि त्रुटि को सुधार कर पुन: वेतन निर्धारित कर अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली कर ली जाएगी। खंड का उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है।

अत: गलत वेतन निर्धारण के कारण धनराशि ₹**18202** के अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	33/2011-12	01	02, 03	
2.	32/2013-14	--	01	
3.	70/2016-17	--	01	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	
(1)	श्री संजय कुशवाहा	अधिशासी अभियन्ता	(विगत लेखापरीक्षा से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.श्री विष्णु विकास गुप्ता (विगत लेखापरीक्षा से 03.09.2018 तक)

2.श्री नौशाद आलम (04.09.2018 से अबतक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र –।।